# बीकानेर का भाईचारा और सौहार्द बनाये रखना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी : पवन

बीकानेर कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल ने जिला शांति समिति की बैठक को सम्बोधित किया।

- जिला शांति समिति की बैठक में कहा कि गलत और भ्रामक संदेश वायरल करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी

**बीकानेर,**(कासं)। जिला शांति समिति की बैठक बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई। इस अवसर पर संभागीय आयुक्त डॉ. नीरज के. पवन ने कहा कि बीकानेर के लोग सदियों से आपसी सदभाव से रहते आये हैं। इस स्थिति को बनाये रखना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है।

उन्होंने कहा कि जिले के नागरिक जागरूक रहकर प्रत्येक स्थिति पर नजर रखें तथा सोशल मीडिया पर आने वाले किसी भी भ्रामक संदेश अथवा वीडियो तत्काल प्रशासन को उपलब्ध करवाएं जिससे त्वरित कार्रवाई की जा सके। उन्होंने सभी को शहर में शांति और सदभाव बनाये रखने में भागीदारी की शपथ दिलाई।

जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल ने कहा कि जिले में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी की गई है। इसके अनुसार पांच या पांच से अधिक व्यक्ति बिना अनुमति एकत्रित नहीं हो सकेंगे। उन्होंने कहा कि शांति बनाये रखना हमारी सर्वोच्च जिम्मेदारी है। गलत और भ्रामक संदेश वायरल करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने कहा कि अभिभावकों को चाहिए कि वे अपने बच्चों की प्रत्येक गतिविधि और सोशल मीडिया एकाउंट पर नजर रखें।

पुलिस अधीक्षक योगेश यादव ने कहा कि जिले में सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर विशेष नजर रखी जा रही है। प्रतिदिन लगभग तीन सौ सोशल मीडिया पेजेज और अनेक ग्रुप्स की समीक्षा की जाती है। शहर के थानों में 40 से अधिक मोहल्ला कमेटियां बनाई गई हैं, जिनके 500 से अधिक सदस्य हैं। सीएलजी की बैठकें भी नियमित रूप से की जा रही है। उन्होंने कहा कि पुलिस-प्रशासन द्वारा सभी व्यवस्थाएं माकूल रखी गई है। इसमें आमजन की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।

बैठक में लालेश्वर महादेव मंदिर के अधिष्ठाता विमर्शानंद गिरी, शहर काजी हाजी मुश्ताक अहमद, गुरूद्वारा रानी बाजार के सचिव गुरूविन्द्र सिंह भाटिया, सेंट मार्कस सीएनआई चर्च की रेंहरेंड क्रिस्टीना डेनियल सहित विभिन्न धर्मगुरूओं ने बीकानेर की गंगा-जमुना संस्कृति को पूरे देश के लिए मिसाल बताया। उन्होंने आपसी भाईचारा एवं सौहार्द बनाये रखने में भागीदारी का विश्वास दिलाया।

इस दौरान हाफिज फरमान अली, डॉ. अर्पिता गुप्ता, सुमित कोचर, अनवर अजमेरी, जावेद कल्लर, वली मोहम्मद गौरी रजवी, फरमान कोहरी, अब्दुल मजीज खोखर, माशूक अली, दुर्गासिंह सहित विभिन्न गणमान्य लोगों ने विचार रखे।

बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर (नगर) पंकज शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमित कुमार, डॉ. विजय चलाना, रहमत अली, देव किसन गहलोत, शैलेष गुप्ता, जावेद खान, गिरिराज सिंह भाटी, ओमप्रकाश बिश्नोई, मोहम्मद असलम, फिरोज भाटी, सलीम भुट्टो, नंदकिशोर भाटी, पीयूष यादव, नितेश तंवर, भंवरलाल सहू आदि मौजूद थे।

**धारा 144 लगाई :** हनुमानगढ़ कलेक्टर नथमल डिडेल ने जिले में अनावश्यक अफवाह फैलने से रोकने एवं किसी प्रकार के भ्रामक एवं झूठे समाचारों एवं संदेशों के प्रसार को रोकने व जिले में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए सम्पूर्ण जिले में उक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत आदेश जारी किए हैं। यह आदेश 28 जून 2022 से लागू होकर आगामी आदेशों तक सम्पूर्ण हनुमानगढ़ जिले में प्रभावशील रहेगा।

जिला कलेक्टर द्वारा जारी निषेधाज्ञा में लिखा गया है कि दण्ड प्रक्रिया सहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्पूर्ण हनुमानगढ़ जिले में जन सुरक्षा एवं लोक परिशान्ति बनाये रखने की दृष्टि से बिना पूर्व अनुमति रैली, जुलूस, प्रदर्शनी इत्यादि का आयोजन पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा। किसी प्रकार के भ्रामक झूठे समाचारों एवं संदेशों का प्रचार-प्रसार नहीं किया जायेगा तथा चार लोगों से अधिक के एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा।

यदि कोई व्यक्ति, संस्था या समूह उपर्युक्त प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन करेगा तो वह भारतीय दण्ड संहिता की पारा 188, 269, 270 एवं सुसंगत विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत अभियोजित किया जा सकेगा। आदेश में लिखा गया है कि चूंकि समयाभाव के कारण यह संभव नहीं है कि उक्त आदेश प्रत्येक व्यक्ति को अलग-अलग सूचित किया जाये। प्रत्येक को अलग-अलग नोटिस जारी कर तामील करवाया जाये। अतः यह आदेश एक तरफा प्रसारित किया जाता है।

## नहर से तीसरे युवक का भी शव बरामद

**हनुमानगढ़,** (कासं)। जिले के पल्लू थाना क्षेत्र में 3 युवकों के नहर में डूबने के मामले में बुधवार को दूसरे दिन तीसरे युवक का शव भी बरामद कर लिया। पुलिस ने आपदा प्रबंधन टीम, ग्रामीण और गोताखोरों की मदद से दो युवकों के शव मंगलवार को बरामद कर लिए थे, लेकिन तीसरे युवक का शव नहीं मिल पाया था।

पल्लू थानाप्रभारी बिशन सहाय ने बताया कि कुंभाराम आर्य लिफ्ट कैनाल में पानी के टैंकर के साथ नहाने के लिए आए 3 युवक नहर में डूब गए, जिसमें दो रोहिताश (25) पुत्र नोपाराम वाल्मीकि और सुनील (20) पुत्र रामप्रताप वाल्मीकि निवासी कानसर थाना खुईया की मौत डूबने से हो गई थी। पुलिस ने आपदा प्रबंधन टीम, ग्रामीण और गोताखोरों की मदद से दोनों के शव बाहर निकाले और पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सुपुर्द कर दिए थे।

तीसरे युवक विनोद (16) पुत्र कृष्ण कुमार की तलाश मंगलवार से गोताखोर और आपदा प्रबन्धन की टीम नहर में कर रही थी। युवक विनोद कुमार का शव बुधवार को बरामद कर लिया गया है। पल्लू पुलिस ने शव को नोहर के गवर्नमेंट हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवा दिया है।

पल्लू थानाप्रभारी बिशन सहाय ने बताया कि मृतक के पिता नोपाराम पुत्र मंगतराम ने पल्लू थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए बताया कि रोहिताश, सुनील और विनोद नहर में पानी पीने के लिए उतरे थे। पैर फिसलने की वजह से तीनों नहर में गिर गए, जिसकी वजह से तीनों की मौत हो गई। पुलिस ने मर्ग दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

## सार-समाचार

### उन्नत पशुपालन विधियों का प्रशिक्षण

**बीकानेर,** (कासं)। वेटरनरी विश्वविद्यालय की प्रसार शिक्षा परिषद की 8 वीं बैठक बुधवार को कुलपति प्रो. सतीश के. गर्ग की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक को सम्बोधित करते हुए कुलपति, प्रो. गर्ग ने कहा कि वेटरनरी विश्वविद्यालय के अन्तर्गत विभिन्न जिलों में स्थापित पशुविज्ञान केन्द्रों एवं नोहर (हनुमानगढ़) स्थित कृषि विज्ञान केन्द्र द्वारा राज्य के पशुपालकों के उन्नत पशुपालन विधियों का प्रशिक्षण, रोग निदान सेवाएं, सलाहकारी सेवाएं एवं कृषक गोष्ठीयों के माध्यम से पशुपालन उत्पादन बढ़ाने एवं आर्थिक स्वावलम्बन हेतु प्रेरित किया जा रहा है। राज्य में पशुपालन की महत्वता को देखते हुए किसानों एवं पशुपालकों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए नवीन तकनीकों के हस्तातरण एवं वैज्ञानिक पशु प्रबन्धन प्रशिक्षणों अंजाम देना होगा। प्रो. गर्ग ने पशुविज्ञान केन्द्रों के माध्यम से पशुपालकों हेतु चलाई जा रही गतिविधियों को आकंलन करने एवं उनका आर्थिक प्रभाव जानने हेतु सुझाव दिये। प्रसार शिक्षा निदेशक प्रो. राजेश कुमार धूड़िया ने वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 का प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए सभी केन्द्रों द्वारा संचालित गतिविधियों को विस्तृत रूप से बताया। प्रो. दैया ने पशुपालन उन्नत तकनीकों को जागरूगता कैम्पेनिंग एवं सोशल मीडिया के माध्यम से पशुपालकों तक पहुंचाने का सुझाव दिया। बैठक में परिषद के मनोनीत सदस्य डॉ. दिनेश भौंसले (पुणे), उरमूल डेयरी के महाप्रबंधक प्रतिनिधि डॉ. बी.एल. विश्नोई, उपनिदेशक, पशुपालन विभाग डॉ. ओमप्रकाश ने भी अपने विचार रखे। बैठक में विश्वविद्यालय के वित्त नियंत्रक डॉ. प्रताप सिंह पूनिया, अधिष्ठाता एवं संकाय अध्यक्ष प्रो. आर. के. सिंह, डीन-डायरेक्टर, विभागाध्यक्ष एवं कृषि विज्ञान केन्द्र एवं पशुविज्ञान केन्द्रों के प्रभारी अधिकारी उपस्थित थे।

### नाले में मिला युवक का शव

**सूरतगढ़,** (निसं)। सूरतगढ़ में यहां स्टेडियम ग्राउंड के पास नाले में शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक युवक के शरीर पर मारपीट के निशान मिले हैं। जिसके चलते परिजनों ने युवक की हत्या की आशंका जताई है। वहीं मामले की सूचना मिलने पर सिटी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को राजकीय चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया। मृतक युवक राजू राम नायक पुत्र गिरधारी राम नायक (30) निवासी सूरतगढ़ है। मृतक की बहन सरस्वती देवी ने बताया कि उसका भाई राजूराम सोमवार से लापता था। जिसको घर के पास में ही एक महिला के घर पर देखा था। वहीं मृतक के परिजनों ने भी मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाने व नामजद आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग को लेकर सूरतगढ़ के राजकीय अस्पताल के ट्रोमा सेंटर के आगे धरना दिया। जानकारी के अनुसार मृतक राजूराम की शादी करीब 15 वर्ष पहले हुई थी। मृतक तीन बच्चों का पिता था। जो मिस्त्री का काम करता था। मामले में सूरतगढ़ सिटी थानाधिकारी रामकुमार लेघा ने परिजनों से परिवाद लेकर शव मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। इस दौरान धरने पर मृतक की पत्नी कमला देवी, भादर राम, रोशन लाल, अनिल चौधरी, चुन्नीलाल पंवार, मनोहर वर्मा, कांता, भागीरथ भाट, हंसराज स्वामी सहित अन्य लोग मौजूद थे।

### कीटनाशक पीने से विवाहिता की मौत

**सूरतगढ़,** (निसं)। उपखंड के राजियासर थाना क्षेत्र के गांव रायावाली में कीटनाशक के सेवन से नव विवाहिता की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार विवाहिता पिंकी पुत्री महावीर उम्र 19 वर्ष अपने ननिहाल रायांवाली में अपने नाना के घर आई हुई थी। मृतका के नाना ने राजियासर पुलिस को दी रिपोर्ट ने बताया कि मृतका पिंकी कई दिनों से बीमार थी जो की दवाई लेने के लिए सूरतगढ़ आई हुई थी। जहां से दवाई लेने के बाद वह अपने ननिहाल रायांवाली में अपने नाना के घर आ गई, रात में पेट दर्द होने पर उसने भूल से दीमक मारने की दवाई का सेवन कर लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। राजियासर पुलिस ने मृतका के नाना की रिपोर्ट के आधार पर मर्ग दर्ज कर शव का पोस्टमार्टम करवा कर शव परिजनों को सौंप दिया। वहीं मामले की जांच सूरतगढ़ उपखंड अधिकारी करेंगे। जानकारी के मुताबिक मृतक विवाहिता पिंकी गांव खोथावली की रहने वाली थी। युवती के पेट में पथरी होने पर सूरतगढ़ के एक निजी चिकित्सालय से दवाई लेकर अपने नाना के घर रायांवाली चली गई थी। युवती की शादी करीब दो महीने पहले पूर्व श्रीगंगानगर जिले के मांझूवास गांव में हुई थी।

### दो भाईयों को सात साल की सजा

**हनुमानगढ़,** (कासं)। नोहर अपर जिला सेशन न्यायाधीश राजेन्द्र चौधरी ने हत्या के प्रयास के मामले में दो भाईयों को सात साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने पल्लू थाना क्षेत्र के गांव थिराना निवासी सुरेन्द्र कुमार उर्फ पप्पू पुत्र संतलाल व उसके भाई ओमप्रकाश पुत्र संतलाल को धारा 307 के तहत सात साल के साधारण कारावास व पांच हजार रूपये का जुर्माना लगाया है। 22 अगस्त 2015 को राकेश कुमार ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। जिसमें बताया कि बहन गायत्री व सुमित्रा का विवाह थिराना निवासी ओमप्रकाश व उसके भाई रणजीत उर्फ जीतराम के साथ 18 साल पहले हुआ था। विवाह के बाद से ही आरोपी दहेज की मांग को लेकर बहनों को परेशान करने लगे। इसके बाद बहनों के साथ मारपीट की। जब राकेश कुमार अपनी बहनों को छुड़ाने आया तो उसे जान से मारने की नीयत से उसके सिर पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। इस पर पीड़ित ने रणजीत, सुरेन्द्र और ओमप्रकाश के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। इस दौरान 22 अक्टूबर 2021 को अभियुक्त रणजीत उर्फ जीतराम की मृत्यु हो गई। जिस पर उसके खिलाफ कार्रवाई ड्रॉप कर दी गई। सुरेन्द्र उर्फ पप्पू व उसके भाई ओमप्रकाश को दोषी मानते हुए सात साल का साधारण कारावास व पांच हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है।

## उदयपुर हत्याकांड के विरोध में पैदल मार्च निकाल विरोध जताया

**बीकानेर,**(कासं)। उदयपुर में कन्हैया लाल की हत्या की गूंज बीकानेर तक सुनाई दी। जहां विहिप, बजरंग दल सहित अनेक हिन्दु संगठनों से तुलसी सर्किल से कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च निकालकर विरोध जताया।

इस दौरान दुर्गासिंह शेखावत ने कहा कि हत्या के बाद वीडियो जारी कर अपराधियों ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को धमकी देकर देश की अखंडता एवं संप्रभुता को चुनौती दी है। उदारवाद, विचारों की स्वतंत्रता और धर्म निरपेक्षता को यह चुनौती है जिसे भारत की जनता, विश्व हिन्दू परिषद्, बजरंग दल और केन्द्र सरकार स्वीकार करेगी, इससे लड़ेगी और विजय प्राप्त करेगी। आंतकवाद की घटनाओं को किसी भी कीमत पर सहन नहीं किया जायेगा। उन्होंने सभी हिन्दू संगठनों को आंतकवाद के खिलाफ एकजुट होने का आव्हान किया। कुछ राष्ट्र विरोधी ताकतें एक सोची समझी साजिश के तहत अलगाववाद और आतंकवाद को बढ़ावा दे रही हैं।

## संगरिया में 32 खाद्य लाईसेंस बनाए

**हनुमानगढ़,** (कासं)। शिविर में खाद्य व्यापारियों को फूड लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन के नियम एवं उपनियम की जानकारी दी गई। इसके अलावा नए लाइसेंस बनाने एवं 32 पुराने लाइसेंस का नवीनीकरण किया गया।

संगरिया में खाद्य व्यापारियों को फूड लाइसेंस, पुराने लाइसेंस का नवीनीकरण एवं नए लाइसेंस बनवाने के लिए शिविर लगाया। सीएमएचओ डॉ. नवनीत शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देश पर चिकित्सा विभाग द्वारा एफएसएसएआई, नई दिल्ली के सहयोग से खाद्य व्यापारियों को फूड लाइसेंस की जानकारी देने के लिए एक कैम्प का आयोजन संगरिया में साहुवाला धर्मशाला में आयोजित किया गया। शिविर में खाद्य सुरक्षा अधिकारी जीतसिंह यादव, किराना अध्यक्ष धनराज गोयल, ओमप्रकाश भूतना, मदनलाल सहारण, प्रदीप चाहर, मनोहर लाल आदि व्यापारी मौजूद थे।

## चिड़ावा के हिस्से का सामान बेचने का आरोप

- ओजटू सरपंच ने पीएचईडी विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठाए

**चिड़ावा,** (निसं)। चिड़ावा पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक प्रधान इंद्रा डूडी की अध्यक्षता में हुई। बैठक में। ओजटू सरपंच ने पीएचईडी विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए बताया कि चिड़ावा को उसके हिस्से का सामान ही नहीं मिल रहा। जबकि आगे से सामान जलदाय विभाग के दफ्तर में आ गया। उन्होंने आरोप लगाया की चिड़ावा के हिस्से का सामान बाजार में बेचा जा रहा है।

उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों व ग्रामीणों को अपनी जेब से रुपए देकर काम करवाने पड़ रहे है। इससे शर्मनाक स्थिति और क्या होगी। ऐसे में झुंझुनूं बैठने वाले और इसी माह रिटायर होने वाले अधिकारी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लिया जाए। जिसका सभी ने समर्थन किया। बैठक में जिला परिषद सदस्य पंकज धनखड़ ने बिजली विभाग द्वारा गरीब लोगों के लाखों की वीसीआर भरकर परेशान करने और अघोषित बिजली कटौती का आरोप लगाया। इस पर बिजली विभाग एक्सईएन अशोक चौधरी ने कहा कि वीसीआर अपराध साबित होने पर ही भरी जाती है। फिर भी कोई मामला है तो दिखवा लेंगे। उन्होंने अघोषित बिजली कटौती पर कहा कि आगे से लोड बढ़ ने पर कटौती होती है। इसके अलावा अन्य कटौती की सूचना दी जाती है। सरपंचों ने चिड़ावा अस्पताल में फिजिशियन लगवाने, पीएचईडी व पीडब्ल्यूडी का एक्सईएन दफ्तर खुलवाने का प्रस्ताव भी पुरजोर तरीके से रखा। ओजटू से घासी का बास सड़क में घटिया सामग्री इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए सरपंच विनोद ने इसकी जांच करवाने और दोषियों पर कार्रवाई करवाने और सही निर्माण की

## कार-बोलेरो की भिड़ंत में एक की मौत, 7 घायल

**बीकानेर,**(कासं)। जिले के लूणकरनसर थाना इलाके में बुधवार को कार-बोलेरो की भिड़ंत में एक जने की मौत हो गई। जबकि सात अन्य घायल हो गये है।

घायलों को पीबीएम अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जानकारी के अनुसार हाईवे पर विश्वकर्मा मार्केट के सामने कार-बोलेरो गाड़ी आपस में भिड़ गए। हादसे में मृतक की शिनाख्त बीकानेर के चाणक्य नगर में रहने वाले सुग्रीव के रूप में हुई है।

इसकी सूचना मिलने के साथ मौके पर पहुंची पुलिस घायलों को लेकर लूणकरनसर के सामुदायिक चिकित्सालय पहुंची। जहां गंभीर रूप से घायल छह जनों को बीकानेर पीबीएम में रैफर किया गया है।

## कार ने बाइक सवार को टक्कर मारी, युवक की मौत

- नोहर सोनडी मार्ग पर हुई कार और मोटर साइकिल की टक्कर

**हनुमानगढ़,**(कासं)। नोहर सोनडी मार्ग पर कार और मोटर साइकिल की टक्कर में एक युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान 25 वर्षीय मधाराम पुत्र रामचंद्र देहडु निवासी सोनडी के रूप में हुई है।

जानकारी के मुताबिक मृतक युवक मोटरसाइकिल पर नोहर से अपने गांव सोनड़ी जा रहा था। जबकि कार सोनडी की तरफ से आ रही थी। नोहर सोनड़ी के बीच में हुई जबरदस्त दुर्घटना में मोटरसाइकिल सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। मृतक के शव को नोहर राजकीय चिकित्सालय की मोर्चरी रूम में रखवाया गया है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। आसपास के लोगों ने घटना की जानकारी परिजनों को दी। मृतक नोहर में फर्नीचर आदि का मिस्त्री था। वो काम के बाद अपने गांव लौट रहा था।

दुर्घटना इतनी जबरदस्त थी कि कार व मोटरसाइकिल दोनों क्षतिग्रस्त हो गए और कार में सवार किसी के चोट आई है या नहीं इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। पुलिस कार चालक का पता लगाने में जुटी है। घटना के बाद मौके पर से कार चालक फरार हो गया। समाचार लिखे जाने तक इस संबंध में किसी प्रकार का मुकदमा दर्ज नहीं हुआ था घटना की जानकारी मिलने पर परिवार में कोहराम मच गया।

**लंपी स्किन डिजीज से गायों की मौत :** नोखा के देसलसर गांव में डेढ़ माह से गायों में लंपी स्किन डिजीज बीमारी के भंयकर प्रकोप से रोजाना 2 से 3 गायों की मौत हो रही है। इससे पशुपालक सहमे हुए हैं।

ग्रामीण बजरंग सिंह ने बताया कि इस बीमारी से गायों के शरीर में गांठे बनती है। तेज बुखार के साथ असहनीय दर्द रहता है। इस कारण पशु खाना पीना बंद कर देते हैं।

**उत्तर पश्चिम रेलवे**

**ई-निविदा सूचना**

मंडल रेल प्रबंधक, उत्तर पश्चिम रेलवे बीकानेर भारत के राष्ट्रपति की और से इच्छुक ठेकेदारों से निम्न लिखित कार्य के लिए दर्शायी गयी तिथि में सील की गई खुली निविदा आमंत्रित करते है। **निविदा संख्या : एस.एण्ड.टी-बी.के.एन-ईटी-232, कार्य का नाम व स्थान : बीकानेर मंडल पर बीकानेर रेलवे स्टेशन पर 3 साल की वारंटी अवधि और वारंटी के बाद 05 साल की व्यापक AMC के साथ CCTV कैमरो और ISS के अन्य संबद्ध उपकरणो को बदलना और बढाना।, अनुमानित लागत मूल्य रु. : 21002263.45, बिड सिक्यूरिटी राशि(रुपये में): 255000.00, निविदा प्रस्तुत करने की तिथि व समय : 20.07.2022 को 15.00 बजे तक।, वेब साइट जहाँ निविदा का पूरा विवरण देखा व डाउनलोड किया जा सकता है : www.ireps.gov.in** 457-SN/22

हमें /NWRailways NWRailways_ पर फॉलो करें

**नाम संशोधन बाबत**

बीकानेर/29.06.2022 यह कि सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे सभी दस्तावेज में मेरा नाम जान मोहम्मद (JAN MOHAMMED) है तथा रिको रजिस्टर्ड ERP में मेरा नाम जान मोहम्मद (JAN MOHAMMAD) अंकित हो गया है जबकि वास्तव में मेरा नाम जान मोहम्मद (JAN MOHAMMED) है। जो मेरे सभी दस्तावेज में है तथा मुझे इसी नाम से जाना व पहचाना जाता है।

**कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर**

क्रमांक :- LU2012/SGN/2022-23/100412 **लोक सूचना** दिनांक : 27.6.2022

GRG BUILDWAY PRIVATE LIMITED जरिये डायरेक्टर श्री ओजस्वी गोयल पुत्र श्री राधेश्याम गोयल निवासी 01 सदर बाजार, श्रीगंगानगर ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात् :-

| क्र.सं. | ग्राम तहसील व जिले का नाम | खातेदार का नाम | खसरा सं./भूमि का विवरण | क्षेत्रफल (हैक्टेयर) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | चक 2 ई छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर | GRG BUILDWAY Private Limited जरिये डायरेक्टर श्री ओजस्वी गोयल पुत्र श्री राधेश्याम गोयल | चक 2 ई छोटी मुरब्बा नं. 67 के किला नं. 1/6 में 0.0802 है. किला नं. 2/3 में 0.0598 है. किला नं. 2/5 में 0.1805 है. किला नं. 9, 12 व 19 प्रत्येक में 0.253 है. किला नं. 10/3, 11/2 व 20/3 प्रत्येक में 0.0844 है. किला नं. 21/4 में 0.0812 है. किला नं. 21/6 में 0.0033 है. किला नं. 22/1 में 0.2410 है. किला नं. 22/2 में 0.0120 है. यथाकुल 1.6702 है. | कुल 1.6702 हैक्टेयर |

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते है। उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 27.6.2022 को जारी की गयी।

- प्राधिकृत अधिकारी, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर

**कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर**

क्रमांक :- LU2012/SGN/2022-23/100408 **लोक सूचना** दिनांक : 23.6.2022

श्रीमती रिंक्ल रानी मित्तल पत्नी श्री दीपक मित्तल निवासी 84 बी ब्लॉक, श्रीगंगानगर ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का व्यावसायिक प्रयोजनार्थ के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात् :-

| क्र.सं. | ग्राम तहसील व जिले का नाम | खातेदार का नाम | खसरा सं./भूमि का विवरण | क्षेत्रफल (हैक्टेयर) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | चक 4 एमएल तहसील व जिला श्रीगंगानगर | श्रीमती रिंक्ल रानी मित्तल पत्नी श्री दीपक मित्तल | चक 4 एमएल मुरब्बा नं. 44 के किला नं. 11/10 में 0.0336 है. किला नं. 12/7 में 0.0613 है. किला नं. 13/11 में 0.0007 है. यथाकुल 0.0956 हैक्टेयर | कुल 0.0956 हैक्टेयर |

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते है। उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 23.6.2022 को जारी की गयी।

- प्राधिकृत अधिकारी, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर

**कार्यालय नगर विकास न्यास, बीकानेर**

क्रमांक-न्यास/जोन-ए.बी.सी./2022-23/140 दिनांक:-29/6/22

**आम नोटिस**

हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि जय नारायण व्यास नगर में स्थित आवासीय भूखण्ड संख्या II-E-289 तादादी 1241.33 वर्गफीट के आवंटी/क्रेता श्रीमती सुमन शर्मा पत्नी श्री सुरेश शर्मा का देहान्त हो जाने की सूचना, मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति, क्षतिपूर्ति बंधपत्र, शपथ-पत्र व रिलीजडीड जो कि उपपंजीयक कार्यालय से दिनांक 23.05.2007 को पंजीबद्ध की छायाप्रति प्रस्तुत कर उपर्युक्त आवासीय भू-खण्ड अपने नाम कराने हेतु श्री सुरेश कुमार शर्मा पुत्र श्री हरीराम शर्मा निवासी मकान नं. 2-ई-288 जयनारायण व्यास कॉलोनी, बीकानेर ने न्यास कार्यालय में मृत्युउपरांत नामान्तरण हेतु आवेदन किया है। इस संबंध में यदि किसी को किसी किस्म की आपत्ति हो तो व अपना हल्फिया जवाब मय सबूत न्यास कार्यालय में साया होने के पन्द्रह दिन में प्रस्तुत करें अन्यथा उक्त अवधि गुजरने के बाद किसी का कोई उज्र स्वीकार व मान्य नहीं होगा।

प्रभारी अधिकारी (जोन)
नगर विकास न्यास बीकानेर

**कार्यालय उप-आवासन आयुक्त**
**राजस्थान आवासन मण्डल बीकानेर, वृत-बीकानेर**
Circle Office:Sector4,Mukta Prashad Nagar,Bikaner, Rajasthan,INDIA
Telephone:91-0151-2940570; Website:urban.rajasthan.gov.in/rhb e-mail ID :dhcbikaner.rhb@rajasthan.gov.in

क्रमांक:-उआआ/आरएचबी/बीका/2022-23/350 दिनांक 21.06.2022

**आम सूचना**

राजस्थान आवासन मण्डल की पंजीकरण योजना-1973 में चालान संख्या 6839 द्वारा राशि रू. 2500/- जमा करवाकर श्री मंगल सैन गंगल पुत्र श्री राम चन्द्र ने आवास आवंटन हेतु पंजीकरण करवाया था। आवंटी को आवास सं. 1-द-19 पवनपुरी, बीकानेर का कुल क्षेत्रफल 202 वर्गमीटर का आवंटन पत्र क्रमांक 15975 दिनांक 30.12.1975 को जारी किया गया था। मण्डल रिकॉर्ड के अनुसार दिनांक 15.05.1990 कन्वेशडीड/परिपिज्युल को जारी कर दी गई थी। उक्त आवास उप पंजीयन कार्यालय बीकानेर में दिनांक 16.05.1990 को पंजीकृत हैं। तत्पश्चात श्री मंगल सैन गंगल की मृत्यु दिनांक 21.08.2005 को हो जाने के कारण उनकी पुत्रवधु श्रीमति चित्रा गंगल ने मृत्यु प्रमाण पत्र, शपथपत्र, क्षतिपूर्ति प्रमाण पत्र, उत्तराधिकार के घोषणा पत्र, समस्त पंजीयन प्रपत्रों की छायाप्रति एवम् निर्धारित शूल्क जमा करा दिया। उक्त आवास श्रीमति चित्रा गंगल के नाम वसीयतनामा के माध्यम से किया गया। श्रीमति चित्रा गंगल पत्नि स्व. श्री दिनेश चंन्द्र गंगल ने समस्त पंजीयन प्रपत्रों की सत्यापित छायाप्रति, निर्धारित शुल्क की रसीद जमा करवाकर मण्डल रिकार्ड में अपना नाम दर्ज करने हेतु आवेदन किया है। श्रीमति चित्रा गंगल पत्नि स्व. श्री दिनेश चन्द्र गंगल का नाम मण्डल रिकार्ड में दर्ज करने की कार्यावाही विचाराधिन है। यदि किसी व्यक्ति/हितकारी को कोई आपत्ति हो तो अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में 10 दिवस में अपनी आपत्ति लिखित में प्रस्तुत करे अन्यथा यह मानते हुए की मण्डल रिकार्ड में नाम दर्ज करने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है, श्रीमति चित्रा गंगल पत्नि स्व. श्री दिनेश चन्द्र गंगल का नाम मण्डल रिकार्ड में दर्ज कर लिया जाएगा। यदि उक्त आवास में उनके वारिसों एवम् अन्य कोई भी व्यक्ति द्वारा न्यायालय/पुलिस थाना में किसी भी प्रकार का कोई वाद-विवाद पाया गया तो आवंटी स्वयं जिम्मेदार होगा।

सहायक आवासन अधिकारी
राजस्थान आवासन मण्डल
वृत्त बीकानेर

## सांख्यिकी का महत्व केवल आंकडों के संकलन से नहीं है : नित्या के.

श्री अशोक गहलोत
माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान
सांख्यिकी दिवस
के अवसर पर
जिला स्तरीय समारोह एवं कार्यशाला
“सतत् विकास हेतु समंक”
Workshop on "Data for Sustainable Development"
दिनांक : 29 जून 2022
उपनिदेशक आर्थिक एवं सांख्यिकी
बीकानेर

बीकानेर जिला परिषद सीईओ नित्या के. ने सांख्यिकी दिवस पर कार्यशाला को सम्बोधित किया।

- सांख्यिकी दिवस के अवसर पर जिला स्तरीय कार्यशाला आयोजित

**बीकानेर,**(कासं)। सांख्यिकी दिवस के अवसर पर जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन बुधवार को होटल सागर में किया गया।

कार्यशाला की मुख्य अतिथि जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी नित्या के. ने कहा कि सांख्यिकी का महत्व केवल आंकडों के संकलन से नहीं है। सही रूप में समंकों का विश्लेषण कर समाज की विभिन्न समस्याओं के निराकरण में इनका उपयोग करना है। विभिन्न सामाजिक समस्याओं का समाधान सांख्यिकी पद्धतियों के आधार पर ही किया जाना संभव है।

कार्यशाला की अध्यक्षता संयुक्त निदेशक (सांख्यिकी) इन्दीवर दुबे ने की। उन्होंने सांख्यिकी विद प्रो. पी.सी महालनोबिस के जीवन एवं सांख्यिकी के क्षेत्र में उनके योगदान पर प्रकाश डाला। आर्थिक एव संख्यिकी विभाग के उपनिदेशक सुशील शर्मा ने भारत सरकार द्वारा निर्धारित थीम 'सतत विकास हेतु समंक' विषय पर आयोजित कार्यशाला तथा विभिन्न शैक्षणिक गतिविधियों के बारे में संक्षिप्त में परिचय दिया। कार्यशाला में महालनोबिस के जीवन पर चर्चा तथा सांख्यिकी विभाग की विभिन्न गतिविधियों जैसे-सतत विकास हेतु समंक, राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजना-जनआधार, राष्ट्रीय प्रतिवर्ष सर्वेक्षण, जन्म-मृत्यु एवं विवाह पंजीयन, शिक्षा एवं चिकित्सा विभाग में विभिन्न सांख्यिकी कार्यों आदि विषयों पर प्रस्तुतीकरण के माध्यम से सांख्यिकी के महत्व पर चर्चा की गई। मेडिकल कॉलेज के सहायक निदेशक अखिला जोरा ने 'सतत विकास हेतु समंक' प्रस्तुतीकरण दिया। कार्यशाला में जिले के विभिन्न विभागों में कार्यरत सांख्यिकी संवर्ग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भाग लिया। इस अवसर पर सांख्यिकी विभाग से सेवानिवृत अधिकारियों व कर्मचारियों का सम्मान किया गया।

## रेप के आरोपी को 10 साल की सजा

**हनुमानगढ़,** (कासं)। 12 साल की नाबालिग को पिस्तौल के दम पर खेत में ले जाकर रेप करने के आरोपी को पॉक्सो स्पेशल कोर्ट ने 10 वर्ष की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 1 लाख 5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

पॉक्सो स्पेशल कोर्ट के विशिष्ट न्यायाधीश मदन गोपाल आर्य ने नाबालिग से रेप के आरोप में वेदप्रकाश निवासी छानी बड़ी को 10 साल की सजा सुनाई है और 1 लाख 5 हजार रुपये के जुर्मान से भी दंडित किया है।

5 अगस्त 2018 को एक भिरानी थाने में पीड़िता के पिता ने रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए बताया था कि मेरी बेटी घर पर अकेली थी। उनकी ताई का निधन होने से वे सब गए हुए थे। आरोपी उसके घर आये और बोले उसको दादी के घर बुलाया है। उसे बाइक पर बैठाकर नहर पर ले गए और पिस्तौल दिखाकर खेत में बने कमरे में उसके साथ वेदप्रकाश ने जबरन रेप किया।